



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, बड़वानी

आवेदन क्रमांक: 174139

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 07/03/2025

प्रति,

अध्यक्ष,

अनजद पब्लिक हाईर सेकेंडरी स्कूल समिति अनजद

Anjad Public Higher Secondary School, Anjad

THIKRI, बड़वानी, मध्य प्रदेश

विषय :-

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के पर्यायन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भ / महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30/01/2025 तथा इस संबंध में स्कूल से पधान्वती पत्र व्यवहार, निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Anjad Public Higher Secondary School, Anjad स्कूल आईडी -PS22937 विकासखण्ड-THIKRI को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नगरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2025 से 31/03/2028 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 में आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दर में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसकी वार्षिक आयतनी व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आयतनी सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
- पैर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पुस्तक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोर्ट भी कॅरिपेट्रेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छात्रावधि प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - आयु के संबंध के आधार पर ;
 - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पक्षगत ऐसा प्रवेश चका गया है;
 - धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - प्राथमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षावृत्ति प्रदान की जाएगी।
 - किसी बालक को शारीरिक/व्यक्तिक या प्रारंभिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा,
 - नियम 10 के अधीन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा,
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रहें ताकि स्कूल में अधिनियम की धारा 10 एवं 25 में उल्लिखित मापदण्डों के पूर्ति करते हुए मान्यता अवधि तक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
 - शिक्षक का अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा,
 - प्राइवेट शिक्षण की संतुलितधियों में शिक्षक व्यय भाग नहीं लेने लेंगे।



(क) भारत की राष्ट्रीय अल्प संखिया आयोग के अधीन निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार अल्प संखिया की उपस्थिति स्थापित हो।
 (ख) परिवर्ष अल्प संखिया की जांच वाली पीठ पूरी गति व अधिस्थिति की जाए जो समूह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हीरोनिक रूप में
 पंचम सेन व पूर्ण निर्दिष्ट की जाय तथा इसकी सुचना हीरोनिक रूप में पाठ्य हस्तक पूर्ण जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाए।
 मध्यप्रदेश विज्जी विभागत्य विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही पीठ में बहुतरफ की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राविशरी व्याय विवर्धित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विवर्धित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार में भारत को का संशुद्ध करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विवर्धित स्कूल के कारक एवं कारकण अलग एवं जाण्यो अंतिम विविक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं विनियुक्त भाई गयीं।

1. स्कूल के भवन की स्थिति	वित्त का भवन
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	130680
3. कूल निर्मित क्षेत्रफल	36650
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	94030
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	24
6. प्रधानाध्यापक कक्षा-सहा-कार्यालय-सह-रतोर कक्षा	5
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पुस्तक प्रसाधन	हाँ
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	हाँ
9. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	1
10. बाधा रहित उवेश की सुविधा	हाँ
11. पहन-पाउन सामग्री	हाँ
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	हाँ
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	हाँ
14. शिक्षकों की संख्या	17

11. लगे संपरोक्षित किए जाण्ये तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड व्याय सन्स्थापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा प्रत्येक लेखा ओ के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परिषदोचना समन्वयक को भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आबर्धित मान्यता कीड नम्बर 22937 है। इस कार्यालय के साथ करिमी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाण्ये।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की करियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाण्ये।
14. यदि कोई शाला इसके छात्रों को काल की सुविधा उपलब्ध करानी है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि काल हेतु सरकार द्वारा तथा विहित सूक्ष्म समिनयमों का पालन हो गया है। शाला को स्कूल शर्तों में महिला कोडक्टर की उपलब्धता के संघ में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सौभाग्यही व्याय, के परीक्षण का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं विवम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


Digitally signed by Pramod Kumar Sharma
 Date: 2025.03.07 14:43:46 +05:30
 Reason: RTE school recognition
 Location:

भवदीय,

जिला परिषदोचना समन्वयक,

जिला शिक्षा केंद्र

* मान्यता प्रदान एवं जिला परिषदोचना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप में उपलब्धित है, कौनिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।


 Principal
 Anjad Public Hr. Sec. School
 Anjad, Dist. Barwani